

Fourteenth Loksabha

Session : 8

Date : 02-08-2006

Participants : [Naik Shri Shripad Yasso](#)

>

Title : Cancellation of foreign tour organised for the National Award Winner children to Mangolia.

श्री श्रीपाद येसो नाईक (पणजी) : उपाध्यक्ष महोदय, आज किशोर न्याय संशोधन विधेयक के बारे में यहां चर्चा हुई, लेकिन मैं इससे उलट किस्सा उसी मंत्रालय को बताना चाहता हूं। भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 17 जुलाई, 2006 के अपने पत्र के द्वारा 1 अगस्त से 8 अगस्त तक मंगोलिया में होने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए देश के विभिन्न राज्यों से नेशनल अवार्ड प्राप्त 13 से 16 वर्ष के बच्चों को मंगोलिया जाने के लिए बुलाया गया। उन्हें 30 जुलाई को दिल्ली से जाना था। मंगोलिया जाने के लिए वीज़ा तैयार हो गया था, किन्तु 30 जुलाई की रात्रि को सभी बच्चों को बताया गया कि वह ट्रिप कैंसिल करवा दी गई है, इसलिए आप अपने-अपने प्रान्तों में वापिस चले जाएं। बिना किसी कारण उन्हें वापिस भगाने का काम शुरू हो गया। उन्होंने जब कारण पूछा तो कोई कारण नहीं बताया गया।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी डिमांड क्या है?

...(व्यवधान)

श्री श्रीपाद येसो नाईक : मेरी रिक्वैस्ट है कि वही मिनिस्ट्री 13 और 16 साल के बच्चों पर ऐसा अन्याय करती है, उसका कारण भी नहीं बताती। उन बच्चों के पिता भी उनके साथ अपने टिकट से आए थे, लेकिन उन्हें वापिस जाना पड़ा। उनके स्कूल में उनका सत्कार हो गया था, अब वे कौन से मुंह से वापिस जाते। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मिनिस्ट्री वाले छोटे बच्चों पर अन्याय करते हैं, इसकी जांच होनी चाहिए और जिसने अन्याय किया है, उसे सजा होनी चाहिए।